संख्या–आन०प०प्रश०/मता३स–1(2010–11) 1321 दिनांक 30-5-11

प्रेषक,

आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल,
फैजाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय:– दि बैनयन ट्री स्कूल, जाफरगंज, जगदीशपुर, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना।

महोदय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा प्रेषित **दि बैनयन ट्री स्कूल, जाफरगंज, जगदीशपुर, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर** को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या–1916/15–7–09–1(299)/2007, दिनांक 14 जुलाई 2009 में वर्णित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक अन्तर्गत दिये परिशिष्ट–3 के क्रम–5.6 जो निम्नवत है–

1 शिक्षक/कर्मचारी की अर्हता–

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथा स्थिति कौन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सार्टीफिकेट इक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन में वर्णित हो। मुख्यतः कक्षा–12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे।

कक्षा–10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्य संस्था विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा–11–12 पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होंगे जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो।

कक्षा–6–10 में पढ़ाने वाले अध्यापक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 1–5 तक शिक्षण के लिए हाई स्कूल जे०टी०सी०, बी०टी०सी०,एच०टी०सी० तथा इन्टर के साथ सी०टी० जे०टी०सी०,बी०टी०सी० या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

2. वेतन तथा सेवा शर्तें–

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिये सेवा शर्तें बनायी जायेंगी जिनमें परिवीक्षा काल,स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधि सम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है इसके साथ ही अवकाश नियम, पेन्शन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएँ का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्तें–समता, समानता, धर्म, जाति, भाषा, लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होंगे जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय–समय पर दिये जाते है किन्तु किसी कारण वश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो अनापत्ति वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (मा०), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी छत्रपति शाहूजी महाराजनगर।
4– संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को विद्यालय के मूल प्रस्ताव/पत्रावली के साथ प्रेषित।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर।
6– निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
7– प्रबन्धक, दि [illegible] ट्री स्कूल, [illegible], जगदीशपुर, छत्रपति शाहूजी महाराजनगर।

(राजीव कुमार)
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।